


प्रायोगिक संख्या/मुद्रा/2017/3018

162

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा,  
जिला-रीवा (म.प्र.)



Rs. 30/-

सत्य प्रसाद सिंह तनय छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम पड़ैनिया, तह 0  
गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

- 01- राजेश्वरी सिंह तनय छोटेलाल सिंह, निवासी ग्राम ग्राम पड़ैनिया, तह 0  
गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)  
02- श्रीमती शकुन्तला सिंह उर्फ कुन्ती देवी पत्नी स्व. विष्णु प्रताप सिंह  
03- पुष्पराज सिंह तनय स्व. विष्णु प्रताप सिंह  
04- हेमराज सिंह पिता स्व. विष्णु प्रताप सिंह  
सभी निवासी ग्राम अमहवा, तह 0 गोपदबनास, जिला सीधी, (म.प्र.)  
05- सरला सिंह पुत्री स्व. विष्णु प्रताप सिंह पत्नी श्री वैजनाथ सिंह उर्फ  
मामू निवासी ग्राम पहउआ, तह 0 गुढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)  
06- सुरेखा सिंह पुत्री स्व. विष्णु प्रताप सिंह निवासी ग्राम बहेरा (रामडीह),  
तह 0 सोहावल, जिला-सीधी (म.प्र.)

.....गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्

अपर आयुक्त महोदय, संभाग रीवा, जिला

रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक

79/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक

25.08.2017 के विरुद्ध

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.

1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :-

- 01- यह कि आधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय,  
संभाग रीवा, जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक  
79/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2017 विधि  
व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

162/4/2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0 III/निगरानी/सीधी/भू—रा0/2017/3018

जिला—सीधी

सत्य प्रसाद सिंह/राजेश्वरी सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p> सदस्य</p> <p></p>	